रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 6 फरवरी, 1990/17 माघ, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 फरवरी, 1990

क्रमांक एल० एल० आर०-डी० (6) 17/89-लैजिस्लेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 5 फरवरी, 1990 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989 (1989 का 16) को

1990 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 2 क रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
राजकुमार महाजन,
सचिव (विधि) ।

1990 का अधिनियम संख्यांक 2.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 5 फरवरी, 1990 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 है।

(2) यह फरवरी, 1989 के सातवें दिन से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 6-ख का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 6-ख में,—

(क) उप-धारा (1-अ) में,—

(1) खण्ड "(i) और (ii)", के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

(i) "यदि उसने एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम अवधि के लिए सेवा की है तो तीन सौ पचहत्तर रुपये प्रति मास, और"; और

(2) खण्ड (iii) को खण्ड (ii) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

(ख) उप-धारा (5) में "उप-धारा (1)", शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर "उप-धाराएं (1) और (1-अ)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे; और

(ग) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा (5-अ) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5-अ) इस धारा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (1-अ) के अधीन पैन्शन लेने का हकदार हो गया होता, किन्तु फरवरी, 1989 के सातवें दिन से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वह ऐसी पैन्शन नहीं ले सका वहां उसकी पत्नी/पति, अवयस्क संतान या अविवाहित पुत्रियां उप-धारा (5) के अधीन पैन्शन लेने के हकदार होंगे, मानो कि ऐसा व्यक्ति फरवरी, 1989 के सातवें दिन को जीवित था।"

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha (Sadasyon ke Bhatte aur Pension) (Devitia Sanshodhan) Adhiniyam*, 1989 (1990 *ka Adhiniyam Sankhyank* 2) *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Act No. 2 of 1990.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) (SECOND AMENDMENT) ACT, 1989

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH FEBRUARY, 1990)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (*Act No.* 8 *of* 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fortieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) (Second Amendment) Act, 1989.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 7th day of February, 1989.

Amendment of section 6-B.

2. In section 6-B of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971,—

(*a*) in sub-section (1-A),—

(1) for clauses (*i*) and (*ii*), the following clause shall be substituted, namely:—

"(*i*) if he has served for a period exceeding one year but less than three years, the sum of rupees three hundred and seventy-five per mensem; and"; and

(2) clause (*iii*) shall be re-numbered as clause (*ii*);

(*b*) in sub-section (5), for the word, brackets and figure "sub-section (1)", the words, brackets and figures "sub-sections (1) and (1-A)" shall be substituted; and

(*c*) after sub-section (5) so amended, the following sub-section (5-A) shall be inserted, namely:—

"(5-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, where a person would have been entitled to draw pension under sub-section (1) or sub-section (1-A) of this section but for his death before the 7th day of February, 1989 he could not draw such pension, his spouse, minor children or un-married daughters shall be entitled to draw pension under sub-section (5), as if such person was alive on the 7th day of February, 1989".

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।